

आदेश

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, कानपुर के आदेश संख्या 10782-789/ई-स्था०-स्थाना०-अराज० (समूह ग/घ) 2023-24 दिनांक 30.06.2023 (पत्र संख्या 10846-53/ई०-स्था०स्थाना० अराज (समूह ग/घ) दिनांक 30.06.2023 के द्वारा संशोधित आदेश डस्वैव संख्या 10822-929/ई-स्था०-स्थाना० अराज (समूह ग/घ) 2023-24 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा श्री हरेन्द्र कुमार, टेक्नीशियन का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पालीटेक्निक, झाँसी में हो जाने के फलस्वरूप हरेन्द्र कुमार को दिनांक 31.07.2023 के अपरान्ह से इस निर्देश के साथ कार्यमुक्त किया जाता है कि वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पालीटेक्निक, झाँसी में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

(सदानन्द शर्मा)
प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक
बोंदा

कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बोंदा।

संक्रांक 348-53/स्था०पी०एफ० स्थाना०आदेश कार्यमुक्त/2023-24

दिनांक 28/07/2023

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

- 01- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
- 02- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
- 03- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, बुन्देलखण्ड क्षेत्र झाँसी।
- 04- मुख्य कोषाधिकारी, बोंदा।
- 05- प्रधानाचार्य वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पालीटेक्निक, झाँसी को इस आशय से कि कार्यभार ग्रहण कराने के उपरान्त श्री हरेन्द्र कुमार टेक्नीशियन को राजकीय पालीटेक्निक बोंदा की शासकीय सम्पत्तियों का चार्ज इस्तानान्तरण के लिये कार्यमुक्त करने की कष्ट करें।
- 06- श्री हरेन्द्र कुमार, टेक्नीशियन को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार अपना कार्यभार वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पालीटेक्निक, झाँसी में ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

Three copy
Received
31/07/2023

(सदानन्द शर्मा)
प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक
बोंदा